## Order Sheet [Contd] \_ (Case No 21/2016 बी.ए

Date of Order or Proceeding  Order or proceeding with Signature of presiding  29.12.2016  अावेदक मनीष रावत की ओर से श्री आर.सी.यादव अधिवक्ता   राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक   आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड की ओर से गुम इंसान सूचना कमांक 07 / 16 की केश डायरी मय कैफियत के पेश   केश डायरी का अवलोकन किया गया   बंटी रावत की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी पत्नी सत्यवती उम्र 26 वर्ष दिनांक 11.11.16 को बैंक में रूपए जमा करने की कहकर गई थी जो घर पर लौटकर नहीं आई है और तलाश करने पर कहीं नहीं मिली है के आधार पर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई   अवेदन अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वह आवेदन पर बल नहीं देना चाहते है   आवेदनपत्र पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा बल न देने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फो0 निरस्त किया गया		Case No 21 / 2	.010 91.5
राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड की ओर से गुम इंसान सूचना क्रमांक 07 / 16 की केश डायरी मय कैफियत के पेश। केश डायरी का अवलोकन किया गया। बंटी रावत की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी पत्नी सत्यवती उम्र 26 वर्ष दिनांक 11.11.16 को बैंक में रूपए जमा करने की कहकर गई थी जो घर पर लौटकर नहीं आई है और तलाश करने पर कहीं नहीं मिली है के आधार पर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई। आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वह आवेदन पर बल नहीं देना चाहते है। आवेदनपत्र पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा बल न देने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 निरस्त किया गया।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
किया जावे।  प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।  (डी०सी०थपलियाल)  पुरुष्त जे. गोहद	29.12.2016	राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड की ओर से गुम इंसान सूचना कमांक 07 / 16 की केश डायरी मय कैफियत के पेश। केश डायरी का अवलोकन किया गया। बंटी रावत की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी पत्नी सत्यवती उम्र 26 वर्ष दिनांक 11.11.16 को बैंक में रूपए जमा करने की कहकर गई थी जो घर पर लौटकर नहीं आई है और तलाश करने पर कहीं नहीं मिली है के आधार पर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई। आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वह आवेदन पर बल नहीं देना चाहते है। आवेदनपत्र पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा बल न देने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ० निरस्त किया गया। आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।	

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI